न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट) रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–188/2026

श्रीमती रचना देवी.....बनाम.....विशाल आदि

UPRN010020912026

अं०धारा–173(4) BNSS

थाना–मंगलपुर, कानपुर देहात।

दिनांक–10.07.2026

1– प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा–173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थिनी द्वारा अपने आवेदनपत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि दिनांक–22.03.2026 समय करीब 8:00 बजे शाम प्रार्थिनी अपने घर पर काम कर रही थी, तभी विशाल, राजेन्द्र, कुंवर सिंह व सत्यम ने प्रार्थिनी के पुत्र को बुलाया। प्रार्थिनी का पुत्र घर पर मौजूद नहीं था, प्रार्थिनी ने कहा कि पुत्र रवि अभी नहीं है तो उपरोक्त विपक्षीगणों ने कहा कि तुम अपने लडके रवि से कह देना कि जो हम लोगों के खिलाफ एन०सी०आर०नं0–51/2026 थाना में दर्ज करायी वह वापस ले ले नहीं तो अबकी बार तुम्हारे लडके रवि की मार–मार कर ऐसी दशा कर देंगे तुम अपने लडके का चेहरा पहचान न सकोगी। प्रार्थिनी ने कहा कि मुकदमा नहीं वापस होगा, हम लोगो की दशा तुम लोगो ने खराब कर दी है, इतने में उपरोक्त विपक्षीगण एकराय होकर जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुये कहा साली धनकुनिया मुकदमा अपने लडके से वापस करा ले नहीं तो तेरी वो दशा करेंगे तू समाज में चेहरा दिखाने के काबिल नही रहेगी। प्रार्थिनी ने उक्त भाषाशैली का विरोध किया तो उपरोक्त लोग घर के अन्दर घुसकर भद्दी–भद्दी गालियां बकते हुये लात घूसो से मारना–पीटना शुरू कर दिया तथा पहने हुये कपडे फाड डाले अपना दरिंदो से बचाव करते हुये तेजी से चिल्लाई घटनास्थल पर आस पडोस के लोग आ गये और उपरोक्त लोगों को ललकारा तो उपरोक्त लोग घटना स्थल से भाग निकले। भागते समय प्रार्थिनी को हिदायत दी कि तू साली धनकुनिया कही थाने व कही कोई अधिकारी को शिकायत की तो तुझे व तेरे लडके को जान से हाथ धोना पडेगा। जब प्रार्थिनी के पति व पुत्र शाम को वापस घर आये तो सारी घटना बताई तो अगले दिन प्रार्थिनी अपने पति के साथ थाने गयी, किन्तु प्रार्थिनी की एक न सुनी गयी। तब प्रार्थिनी ने कहा कि उपरोक्त लोगो द्वारा दिनांक–08.03. 2026 को जो घटना कारित की गयी तथा मेडिकल भी हुआ उसमे भी अभी तक कोई कार्यवाही आप द्वारा नही की गयी है तो वहां दरोगा जी ने डांट डपट कर कहां की जांच चल रही है। प्रार्थिनी के पति की सब्जी मण्डी में सब्जी की दुकान है जिस पर विपक्षी लोग बाजार मालिक से मिलकर दुकान गिराने / हटाने की धमकी भी दे रहे है, जिससे कि प्रार्थिनी बेवश होकर उक्त एन०सी०आर० मुकदमे में समझौता कर अपनी शिकायत वापस ले ले। प्रार्थिनी ने थाना मंगलपुर में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तद्नुसार प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.07.10 16:01:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर, कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3– प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से आधार कार्ड की प्रति, एन०सी०आर० संख्या–51/2026, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद की प्रति व जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

4– प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के कथानक से विदित होता है कि प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ जातिसूचचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज व मारपीट की गयी तथा धमकी दी गयी। प्रार्थिनी को घटना की पूर्ण जानकारी है, जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकती है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–17.08.2026 को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
I.D.No– UP06288
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।